न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी–श्री नीरज मिश्र, आर.ए.एस

क्रमांक रीडर/2019/ 591

दिनांक – 01.04.19

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
1 देवाराम पुत्र पदमाराम 2 कमला पत्नी देवाराम जाति माली निवासी लालाणियों की ढाणी बलदेव नगर तहसील व जिला बाडमेर।		1 कान्तीलाल 2 पुखराज पिसरान हंजारीमल जाति माली निवासी मौ. मुकन प्याऊ की गली, ढाणी बाजार 3 पुखराज पुत्र हंजारीमल 4 राणाराम 5 सवाईराम पिसरान मोबताराम 6 लूणाराम पुत्र मुकनाराम जाति माली निवासी मोहल्ला राय कॉलोनी बाडमेर 7 बंशीलाल पुत्र रतनाराम जाति जोशी निवासी पनघट रोड सुनारों का वास बाडमेर तहसील व जिला बाडमेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,करने नेखमबन्दी बाबत

राजस्व आवेदन संख्या :– 911/2018 दिनांक– 26.03.2019

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा लालाणियों की ढाणी पटवार क्षेत्र बाडमेर आगोर तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 420 रकबा 0.03 बीघा, खसरा संख्या 421 रकबा 42.00 बीघा कुल रकबा 42.03 बीघा भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत् राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 07.09.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रूपये 1500/– अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(नीरज मिश्र)
उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

क्रमांक :– रीडर/2019/592-95 दिनांक– 01.04.19

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :–

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी बाडमेर आगोर तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. देवाराम पुत्र पदमाराम वगैराह जाति माली निवासी लालाणियों की ढाणी बलदेव नगर तहसील व जिला बाडमेर।
4. विप्रार्थी कान्तीलाल पुत्र हंजारीमल वगैराह जाति माली निवासी मौ. मुकन प्याऊ की गली, ढाणी बाजार तहसील व जिला बाडमेर।

उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर